दिनांकः— 05.03.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग की चौथी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः—

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
3. श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
4. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
5. डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
6. श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गयेः—

1. पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि विभाग से सेवानिवृत बी0एस0ओ0 की प्रतिनियुक्ति पर देने का अनुरोध **पत्रांकः— 27 दिनांकः— 16.10.2017** किया गया है, जो कि यह अब तक लंबित है। इस पर सदस्य सचिव के द्वारा बताया गया कि यह प्रक्रियाधीन में है। यह निर्णय लिया गया कि **JSFC** से कर्मियों की नियुक्ति के लिए प्रबन्ध निदेशक एवं सचिव को पत्र लिखा जायेगा। उसके लिए विभाग को पुनः स्मारित करें।
2. मानदेय पर नियुक्त कर्मचारियों के मानदेय की राशि भुगतान से संबंधित मामला वित्त विभाग में लंबित है।
3. पद सृजन की संचिका वित्त विभाग में लंबित है।
4. वित्तीय वर्ष **2018 — 19** की बजट की पुस्तिका की प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी मंगवाएँ।
5. वित्तीय वर्ष **2017 — 18** में **NFSA** में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः—

क्रमांक	मद	कुल आवंटन (लाख रु0 में)	कुल व्यय (लाख रु0 में)	व्यय प्रतिशत	शेष राशि (लाख रु0 में)	अभ्युक्ति
1.	OSP	5500000	4761956	86.58	738044	PGMS के लिए 30 लाख रुपयों में से 2793877 रुपये एवं राज्य खाद्य आयोग के लिए 25 लाख रुपये में से 1968079 रुपये खर्च।

2.	SCSP	1500000	844146	56.28	655854	
3.	TSP	7000000	6966475	99.52	33525	
4.	Total	14000000	12572577	89.80	1427423	

6. विभाग से कुल **68 लाख** के आवंटन की मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध **60 लाख रु0** का आवंटन प्राप्त हुआ है।
7. **Website** हेतु प्राप्त कोटेशन पर निविदा समिति का निर्णय हो चुका है, कार्यादेश निर्गत करने एवं **15 अप्रैल 2018 तक Website** बनाने की कार्रवाई पूरी करने का निर्णय लिया गया।
8. पिछली बैठक में **P.G.M.S** के पैटर्न पर दो **P.R.O** रखने का निर्णय लिया गया था, जिस पर कार्रवाई अभी तक लंबित है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि राज्य खाद्य आयोग नियमावली के अनुरुप **Helpline** के गठन हेतु विभाग को तकनीकि संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा जाय, जिसमें पन्द्रह दिनों के अन्दर संसाधन उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाय।
9. आहार से संबंधित आंकड़े दिखाने का अनुरोध **NIC** से किया गया था, जो अब तक यह लंबित है, स्मार दिया जाय।
10. **GEM** में **Registration** से संबंधित प्रक्रिया सम्पन्न हो गई है। माननीय सदस्यों के लिए 5 **Laptop** एवं 5 **Desktop**, एवं आयोग कार्यालय के लिए एक **Colour Photo Copier cum Fax cum Printer** की भी आवश्यकता है। वर्तमान में अभी यह प्रक्रियाधीन है।
11. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा **Printing** दर दे दिया गया है एवं इसके पोर्टल से भी **Download** किया जा सकता है।
12. आयोग कार्यालय का साईन बोर्ड/पर्दा/नेम प्लेट का कार्य सम्पन्न हो गया।
13. सदस्य सचिव के द्वारा बताया गया कि आयोग के लंबित विपत्रों के विरुद्ध भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। कुल 21 लंबित बिन्दुओं में 166222/– राशि सन्निहित है।
14. पूर्व सदस्या श्रीमती वीणा मिश्रा के बकाया का भुगतान हो गया है।
15. स्थायी अग्रिम हेतु आयोग के **पत्रांकः**– 118 **दिनांकः**– 07.12.17 द्वारा विभाग को अनुरोध पत्र भेजा गया था परन्तु किसी तरह की कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है। अतः पुनः स्मार भेजने का निर्णय लिया गया।
16. भाड़े पर गाड़ी रखने के दर का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। जबकि 05.10.2017 की बैठक में राजस्व विभाग के दरों को अंगीकृत करने का निर्णय हुआ था। तीन माह से यह मामला लंबित है। सदस्य सचिव इस पर शीघ्र कार्रवाई करें।
17. आहार एवं **P.G.M.S** का **Log in Id** एवं **Password** प्राप्त हो गया है।

18. पिछली बैठक में राज्य खाद्य आयोग के द्वारा **फरवरी 2018** में एक कार्यशाला रखने का निर्णय हुआ था, यह अभी प्रक्रियाधीन है।
19. आयोग कार्यालय के लिए **D.D.O** घोषित करने हेतु **पत्रांकः— 136 दिनांकः— 19.12.17** विभाग को भेजा गया था, जिस पर कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है। अतः पुनः स्मारित करने का निर्णय लिया गया।
20. राज्य खाद्य आयोग हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करने, बैंक खाता खोलने, पद सृजित करने एवं वाहन क्रय की स्वीकृति का प्रस्ताव विभाग में लंबित है। जिस पर पुनः स्मार भेजने का निर्णय लिया गया।
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमः— 2013 की धाराः— 15 (4) के अनुसार जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का अलग कार्यालय होना चाहिए। जिस हेतु विभाग को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।
22. राज्य खाद्य निगम के नवनिर्मित भवन में कार्यालय हेतु स्थान आवंटित करने के लिए एक पत्र सचिव सह प्रबन्ध निदेशक को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।
23. निगरानी समितियों के लिए एक मार्गदर्शिका बनाया जाय।
24. आयोग के लिए वित्तीय शक्ति का हस्तान्तरण हेतु विभाग से अनुरोध किया जाय, साथ ही आयोग हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोग के अनुरुप वित्तीय नियमावली का गठन करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाय।
25. अध्यक्ष को विभागााध्यक्ष घोषित करने हेतु विभाग को पुनः स्मारित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/—	ह0/—	ह0/—	ह0/—
(उपेन्द्र नारायण उराँव)	(राकमरण रंजन)	(हलधर महतो)	(डॉ0 रंजना कुमारी)
सदस्य,	सदस्य,	सदस्य,	सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग,	राज्य खाद्य आयोग,	राज्य खाद्य आयोग,	राज्य खाद्य आयोग,
राँची।	राँची।	राँची।	राँची।

ह0/—
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0 (बैठक) 23/2017– 130 राँची, दिनांकः– 09.03.18

प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0 (बैठक) 23/2017– 130 राँची, दिनांकः– 09.03.18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0 (बैठक) 23/2017– 130 राँची, दिनांकः– 09.03.18

प्रतिलिपिः– श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।